

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 21/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. राजेश कुमार पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. हीरालाल पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादीगण

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) रावतसर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री विनोद कुमार स्वामी वकील-वादीगण  
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 12/12/2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री विनोद कुमार स्वामी वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व रावतसर उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि चक 3 केडब्ल्यूडी के खाता सं. 83/69 के प.नं. 162/388(11) कि.नं. 22/2 की 0.025 है. अनकमाण्ड कृषि पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बाई कृषि भूमि में दर्ज नक्शा को दूरुस्त कर उसके स्थान पर चक 3 केडब्ल्यूडी के खाता सं. 83/69 के प.नं. 162/388(11) कि.नं. 22/2 की 0.025 है. अनकमाण्ड कृषि दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12/12/2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

